म.प्र. शासन

सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण

विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की जानकारी

अनुक्रमणिका

क्र.	योजना का नाम	पृष्ठ संख्या
1	विभाग द्वारा संचालित पेंशन योजनाएं	1-3
2	राष्ट्रीय परिवार सहायता	4
3	अंत्येष्ठि सहायता योजना	5-6
4	मुख्यमंत्री कन्याविवाह/निकाह योजना	7
5	मख्यमंत्री कल्याणी विवाह योजना	8
6	मुख्यमंत्री निःशक्त विवाह योजना	9
7	निःशक्त विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति, दृष्टिबाधितों को वाचक भत्ता और उत्कृष्ठ विद्यार्थियों को प्रोत्साहन राशि	10-11
8	मध्यप्रदेश निःशक्त छात्र/छात्राओं के लिए उच्च शिक्षा में दी जाने वाली फीस, निर्वाह भत्ता, परिवहन भत्ता योजना	12
9	निःशक्त विद्यार्थियों हेतु छात्रगृह योजना	13
10	निःशक्त विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा हेतु विदेश में अध्ययन छात्रवृत्ति योजना	14
11	मुख्यमंत्री निःशक्त शिक्षा प्रोत्साहन योजना	15-18
12	निःशक्त व्यक्तियों के लिए सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना	19
13	निःशक्त व्यक्तियों को विशेष साधन/उपकरण प्रदान योजना एवं शल्यक्रिया उपचार सहायता	20-22
14	माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम, 2007 का क्रियान्वयन	23
15	विकलांग व्यक्तियों को यंत्रों/उपकरणों की खरीद फिटिंग के लिए सहायता योजना (एडिप)	24-26

म.प्र. शासन, सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण द्वारा वृद्धजनों, दिव्यांग, कल्याणी (विधवा), परित्यक्ता एवं अविवाहिता महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से निम्न पेंशन योजनाओं संचालित की जा रही है :-

क्रं.	योजना का नाम	पात्रता की शर्ते	लाभ प्रतिमाह (मार्च 2019 से)
1	समग्र सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना	1. 60 वर्ष या अधिक आयु के निराश्रित वृद्ध	₹ 600/-
		2. वृद्धाश्रम में निवासरत 60 वर्ष से अधिक आयु के अंत:वासियों को पेंशन	₹ 600/-
		3. 18 वर्ष से 59 वर्ष आयु की BPL परित्यक्तता महिला	₹ 600/-
		4. 6 वर्ष से 18 वर्ष आयु तक के दिव्यांग जिनकी नि:शक्तता का प्रतिशत 40 या उससे अधिक हो को दिव्यांग शिक्षा प्रोत्साहन सहायता राशि	₹ 600/-
		5. 18 वर्ष से अधिक आयु के दिव्यांग जिनकी नि:शक्तता का प्रतिशत 40 या उससे अधिक हो	₹ 600/-
2	मुख्यमंत्री कल्याणी पेंशन योजना	• न्यूनतम आयु 18 वर्ष या अधिक हो, • आयकरदाता न हो, • शासकीय कर्मचारी/अधिकारी न हो (शासकीय कर्मचारी/अधिकारी से अभिप्राय राज्य या केन्द्र सरकार या शासन हित पोषित निगम, उपक्रम, संस्था के अधीन कार्यरत कर्मचारियों/ अधिकारियों से है।) • कल्याणी परिवार पेंशन प्राप्त न कर रही हो,	18 वर्ष या उससे अधिक आयु की कल्याणी को प्रतिमाह राशि रूपये 600/-
3.	मुख्यमंत्री अविवाहिता पेंशन	• न्यूनतम आयु 50 वर्ष या अधिक हो, • आयकरदाता न हो, • शासकीय कर्मचारी/अधिकारी न हो (शासकीय कर्मचारी/अधिकारी से अभिप्राय राज्य या केन्द्र सरकार या शासन हित पोषित निगम, उपक्रम, संस्था के अधीन कार्यरत कर्मचारियों/ अधिकारियों से है।) • शासकीय / अशासकीय कार्यालय में कार्यरत मानदेय कर्मचारी न हों, • अविवाहिता महिला परिवार पेंशन प्राप्त न कर रही हो,	50 वर्ष या उससे अधिक आयु की अविवाहित महिला को प्रतिमाह राशि रूपये 600/-

4.	मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना	• आयकर दाता नहीं होना चाहिये • आवेदक दंपत्ति में से किसी एक की आयु 60 वर्ष या उससे अधिक होना चाहिये • दंपत्ति की केवल पुत्री संतान होना चाहिये।	₹ 600/-
5.	छह वर्ष से अधिक आयु के बहुविकलांग/ मानसिक रूप से अविकसित नि:शक्तजन के लिए सहायता अनुदान योजना	• मध्यप्रदेश का मूल निवासी हो • नि:शक्तता प्रमाणपत्र हों • नि:शक्तता का प्रकार बहुविकलांग, मानसिक रूप से अविकसित, सेरेब्रल पॉल्सी, ऑटिज्म	₹ 600/-
6.	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्घावस्था पेंशन योजना	• 60 वर्ष से 79 वर्ष आयु के BPL वृद्ध	₹ 600/- (₹ 200 केन्द्रांश + ₹ 400 राज्यांश)
		• 80 वर्ष अथवा उससे अधिक आयु के BPL वृद्ध	₹ 600/- (₹ 500 केन्द्रांश + ₹ 100 राज्यांश)
7.	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना	• 40 वर्ष से 79 वर्ष आयु की BPL विधवा महिला	₹ 600/-
8.	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय नि:शक्त पेंशन योजना	• 18 वर्ष से 79 वर्ष आयु के BPL नि:शक्त व्यक्ति जिनकी नि:शक्तता का प्रतिशत 80 या उससे अधिक हों।	₹ 600/-

उपरोक्तानुसार 12 प्रकार की पेंशन योजनाओं का ऑनलाईन क्रियान्वयन एन.आई.सी. द्वारा विकसित पेंशन पोर्टल के माध्यम से किया जा रहा है।

समस्त पेंशन योजनाओं में स्वीकृति के अधिकार निम्नानुसार है :-

क्रं.	क्षेत्र	योजना	पदाभिहित अधिकारी
1.	ग्रामीण क्षेत्र	समस्त योजनाएं	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत
2.	ग्रामीण	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना, मुख्यमंत्री कल्याणी पेंशन, सामाजिक सुरक्षा पेंशन – दिव्यांगजन, सामाजिक सुरक्षा पेंशन – शिक्षा प्रोत्साहन, अविवाहिता पेंशन एवं छह वर्ष से अधिक आयु के बहुविकलांग/ मानसिक रूप से अविकसित नि:शक्तजन के लिए सहायता अनुदान योजना	ग्राम पंचायत सचिव
3.	नगरीय निकाय	समस्त योजनाएं	आयुक्त, नगर निगम मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका / नगर पंचायत